श्रीमती रेणुका चौधरी (आन्ध्र प्रदेश): सर, फूड सेफ्टी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

Increasing cases of minor tribal girls becoming pregnant in Odisha schools

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, I would like to draw your attention to the outrageous and shocking incident of unwanted pregnancy among tribal girls in the State-run Kanyashram schools in Odisha from where such incidents are reported. Principals of schools reporting such cases should be immediately suspended and action should be taken against others, especially hostel superintendents.

The latest case was reported on Friday from Gupteswar Sevashram, a residential school for SC/ST students at Kandulbeda under the Boipariguda Police Station of Koraput district. A 15 - year old tribal girl, a student of class VIII and a resident of Purunaguda village under Ramagiri panchayat was not coming to school ever since she had gone to her village during the Christmas holidays in December. She complained of abdominal pain late on Thursday night, following which her family called an ambulance to shift her to Boipariguda hospital. But, she delivered a boy child on her way to hospital. Her parents have lodged a complaint at Boipariguda police station and the district administration has started an inquiry. At least four cases of school girls becoming pregnant have surfaced in various ashram schools of the State.

On February 4th this year, a 12-year old tribal girl student of class VI studying in Umuri Sevashram of Koraput district gave birth to a boy child at the hostel. The Headmaster of the Government-run school in Koraput has been suspended, while a show-cause notice has been served to a hostel warden for allegedly suppressing the pregnancy of a tribal student who delivered a baby at the district hospital on January 24. The girl was a class VIII student at the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, Koraput. Already a month has elapsed since the assault. I request you to intervene urgently and demand strict action against the culprits and ensure that justice is done to the minor tribal girls.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Sir, Government should intervene in this matter. The Ministry of Women and Child Development should take up this issue.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ANIL DESAI (Maharasthra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (उत्तराखंड): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती कनक लता सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

डा. तज़ीन फातमा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

SHRI A.U. SINGH DEO (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All the names of the hon. Members, who have associated themselves with it, may be included.

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा) : सर, ऑनरेबल एमपी ने जिस घटना का जिक्र किया है, वह काफी दु:खद घटना है। इस पर ओडिशा गवर्नमेंट अवेयर हो चुकी है और हमारे मुख्य मंत्री ऑलरेडी इंक्वायरी के लिए ऑडर कर चुके हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; take proper action; that is all what she said, and also to prevent such incidents. That is what she is asking. Now, Shri Sharad Yadav.

Possibility of hacking of EVMs

श्री शरद यादव (बिहार) : माननीय उपसभापति जी, मैं चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं। मेरा मक़सद उस पर किसी तरह के आक्षेप का नहीं है, लेकिन लोक सभा के चुनाव से पहले हाईकोर्ट ने ईवीएम के मामले में एक बहुत बेहतरीन फैसला दिया था। ईवीएम को लेकर देश भर में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं। बहुत सारी पार्टियों ने इलेक्शन कमिशन में जाकर इसकी बात भी की है, हालांकि मैं उसमें कभी नहीं रहा। लेकिन हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि ईवीएम में और अधिक मज़बूती लाने के लिए जब वोट डाला जाता है, तो पर्ची निकलनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने वहां वोट डाला या नहीं डाला। यह हाईकोर्ट का फैसला था। नॉर्थ-ईस्ट में कुछ थोड़ी बहुत जगहों पर इसका प्रयोग किया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी मशीनें ले ली गईं और कोलकाता में उनको डम्प कर दिया गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, आज अगर आप बैंकों में चले जाइए, जनरल स्टोर्स में चले जाइए, एटीएम में चले जाइए अथवा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हर जगह पर मशीन के इस्तेमाल के बाद पर्ची निकल आती है। ईवीएम के लिए भी पूरे देश में इसकी भारी मांग रही। इलेक्शन कमिशन इस देश के संविधान का इंजन है और अगर इसमें हर तरह की पारदर्शिता नहीं रखी जाएगी, तो लोगों में यह शंका बढ़ती ही जाएगी।

उपसभापति जी, इसमें कई तरह की शिकायतें आती हैं। आन्ध्र प्रदेश के जो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने यहां डिमॉंस्ट्रेशन करके भी बताया है कि इसमें किस तरह गड़बड़ी की जा सकती है, इसके बावजूद भी इस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। मैं एक केस का जिक्र करना चाहता हूं, यहां मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक केस में इलेक्शन कमिशन वर्सेज़ यहां सदन में रहे हुए एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा केस लगाया गया और अदालत ने उस पर फैसला भी दिया है।

महोदय, यह बिल्कुल सच बात है कि हिन्दुस्तान के वोट की रक्षा संविधान की रक्षा है। बोर्ड इस देश के संविधान का इंजन है। इलेक्शन में किसी को किसी तरह की शंका नहीं रहे, इसके लिए केवल इतना सा काम ही तो है, आप ईवीएम तो लगा ही रहे हैं, उस ईवीएम में केवल एक पर्ची निकल आए। जो आदमी वोट दे रहा होता है, उसको शक होता है कि मेरा वोट गया है या नहीं गया। उस व्यक्ति को यह कन्फर्म हो जाए, इसके लिए, उसके वोट का कन्फर्मेशन ईवीएम मशीन से पेपर के माध्यम से बाहर निकल आए। मान लीजिए, किसी को यह लगता है कि उसमें गड़बड़ हुई, इससे उसमें आगे कुछ किए जाने की संभावना रहती है। यह ट्रांस्पेरेंसी दुनिया भर में है, यहां भी इस ट्रांस्पेरेंसी को लाना चाहिए।